-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 14.07.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **महिला से चैन स्नैचिंग करने वाले 02 अभियुक्तों को थाना कोतवाली नगर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से चैन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।**
- **अभियुक्तों द्वारा दिनांक 12.07.2024 की सुबह स्वराज कालोनी गली-09 के पास महिला से चैन स्नैचिंग की घटना को दिया गया अंजाम।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने के क्रम में थाना कोतवाली नगर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा महिला से चैन स्नैचिंग करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 12.07.2024 को स्वराज कालोनी की रहने वाली मंजू गुप्ता द्वारा थाना कोतवाली नगर पर सूचना दी कि सुबह करीब 07.00 बजे स्वराज कालोनी गली 09 के पास 02 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने उनके गले की चैन खींचकर भाग गये। सूचना पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए टीम गठित कर अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 14.07.2024 को थाना कोतवाली नगर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की पहचान करते हुए मुखबिर की सूचना पर जीआईसी ग्राउण्ड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों के कब्जे से पीली धातु के चैन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल आदि बरामद हुआ है।

बरामदगी-

- 01 अदद् चैन पीली धातु
- 01 मोटरसाइकिल (घटना में प्रयुक्त)
- 02 अदद् मोबाइल फोन
- 2200/ रुपये नगद

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अजय कुमार पुत्र छेदालाल प्रजापति निवासी मिश्रीपुर जनपद शाहजहांपुर।
2. बृजेश सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी बेहटा गम्भीरपुर थाना साढ़ जनपद कानपुर नगर।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 536/24 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. श्री पंकज कुमार सिंह प्र0नि0 कोतवाली नगर
2. श्री परवेज अहमद चौकी प्रभारी सिविल लाइन
3. प्र0उ0नि0 श्री शुभम कौशिक
4. हे0कां0 अश्वनी प्रताप सिंह
5. कां0 अजय यादव
6. कां0 अमित कुमार
7. कां0 सूर्यांशू